

उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास शु.स

1161/अडलील-5-12-02 स्कजल / 2011

12 अक्टूबर 2012

कार्यालय ज्ञान


भारत सरकार के पेय जल एवं स्वच्छता मन्त्रालय द्वारा राज्यांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के वर्ष 2010 में जारी दिशा-निर्देश के अनुसंधान प्रदर्श में ग्रामीण पेयजल कानूनों के प्रिधानत्व हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का एलद्वारा चिन्तानुसार गठन किया जाता है-

- | | |
|---|-------------|
| (1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | अध्यक्ष |
| (2) सृष्टि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन | समाध्यक्ष |
| (3) प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | सदस्य |
| (4) प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | सदस्य |
| (5) प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | -सदस्य |
| (6) प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | -सदस्य |
| (7) प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | -सदस्य |
| (8) प्रमुख सचिव / सचिव, बसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन | -सदस्य |
| (9) प्रमुख सचिव / सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग | -सदस्य |
| (10) प्रमुख सचिव / सचिव, सूचना, उत्तर प्रदेश शासन | -सदस्य |
| (11) प्रमुख सचिव / सचिव, ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन | -सदस्य |
| (12) प्रमुख सचिव / सचिव, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | -सदस्य |
| (13) प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | -सदस्य |
| (14) प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ | -सदस्य |
| (15) निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ | -सदस्य |
| (16) अध्यक्ष द्वारा नामित जल विज्ञान, सूचना शिक्षा संचार, मानव संसाधन | -सदस्य |
| एम०आई०एस०, गैर सरकारी संगठन आदि के विशेषज्ञ / प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (18) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ | -सदस्य सचिव |

2- राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० शासन के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी होगी, जो प्रदेश स्तर पर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता से सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय व कन्वरजेन्स प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करेगी :-

- i. नीतिगत दिशा-निर्देश देना,
- ii. विशेष परियोजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता गतिविधियों का सम्मिलन,
- iii. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा सम्बन्धित गतिविधियों के बीच समन्वयन,
- iv. भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं का प्रवर्धन,
- v. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दोनों के लिए संचार एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों का एकीकरण,

राज्य में सामान्य पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम पर सफलतापूर्वक जलसंधन के
बनवैत प्रभावों के निम्नलिखित समुदायिक संघर्षों में वृद्धि के कारण पर वांछित
कार्य करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन प्रदेश सरकार को कार्यात्मक
लक्ष्यलापन भी प्रदान करेगी।



(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 11/1 (1)/अड्तीस-5-2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मिशन के समस्त सदस्यगण।
4. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. अधिशारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मिशन के गेगोरेन्डम ऑफ एसोशिएशन में उल्लिखित एपेवरा कमेटी के
स्थान पर उपरोक्तानुसार वांछित संशोधन कराने का कष्ट करें।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पो० लि०, लखनऊ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।